न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 102/2014

1. श्री शंकरलाल पुत्र मोहनलाल जाति कहार निवासी सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुकेश चौधरी पुत्र किशन लाल जाति जाट निवासी सवारिया तह. टोडारायसिंह जिला टोंक।

अप्रार्थी

2. श्री चन्द्रा जाति कहार निवासी सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

— प्रफोर्मा अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री दौलतसिंह राठौड़, प्रार्थी।

निर्णय दिनांकः— 25.11.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजी मौजा ग्राम सरवाड़ तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
1513—677	3177	04—11—00	न. 3., गै.मु., बा. 1
	3184	01—15—00	न. 3, बं. 1
	3186	02—06—00	न.डो. बं.2, न. 3
	3196	01—02—00	छापर
	3198	03—06—00	न. 3

यह कि मौजूदा प्रभावी जमाबंदी में धापू बेवा मांगीलाल पुत्र चन्द्रा पुत्र प्रताप की खातेदारी में दर्ज है लेकिन जमाबंदी में नोट लगा हुआ है कि नामान्तरकरण सं. 3183 दिनांक 28.12.12 रजिस्टर्ड धापू के स्थान पर शंकरलाल का अंकन स्वीकार हुआ। इस प्रकार प्रार्थी उक्त भूमि में 1/2 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार कृषक काबिज है। अप्रार्थी नं. 2 सह खातेदार होने से उसे प्रफोर्मा अप्रार्थी बनाया गया। यह कि उक्त भूमि का बैचान दिनांक 17.06.2014 को प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 के बीच लिखा गया जिसके अनुसार संपूर्ण अदायगी 16.12.2014 तक होनी थी। परंतु अप्रार्थी नं. 1 द्वारा प्रार्थी को समय पर भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त इकरारनामा बाबत बैचान निरस्त कर दिया। जिसकी रजिस्टर्ड सूचना पत्र दिनांक 18.08.2014 प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक अप्रार्थी को रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा प्रेषित कर दिया जो अप्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

तामील हो चुका है। वैसे भी कथित इकरारनामा से अप्रार्थी नं. 1 को उक्त भूमि का मालिकाना हक अधिकार या कब्जा प्राप्त नहीं हो सकता जब तक की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीकृत न हो जावे। अप्रार्थी नं. 1 ने दिनांक 10.10.2014 से प्रार्थी को उक्त भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाने पर उतारू है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 को ऐसे कृत्य के लिए जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना लाजमी है। प्रार्थी को अपूर्तियुक्त व अनिश्चित मापदण्ड वाली क्षति होगी। यह कि प्रार्थी का प्राईमा फैसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सरवाड़ संवत् 2066–2069
- छायाप्रति नजरीय नक्शा
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सरवाड़ संवत् 2066–2069

अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र पर बहस एकपक्षीय सुनी गई।

प्रकरण में बहस के तथ्यों, प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर गहन विधिक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी ग्राम सरवाड़ से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

प्रार्थी अभिलिखित खातेदार व अभिलिखित खातेदार का सेटल पेजशन माने जाने की अवधारणा है एवं कब्जे के बाबत अप्रार्थी सं. 1 द्वारा ना ही तो कोई जवाब प्रस्तुत किया है और ना ही कोई दस्तावेज साक्ष्य हेतु पेश किए है। अतः प्रार्थी का सेटल पजेशन मानते हुए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

चूंकि प्रार्थी के पक्ष में पृथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी को ही संभावित है।

पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्य की संभावना को कम करने तथा पक्षकारान् के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी सं. 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखल ना करे तथा भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाए रखें।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़
उपखण्ड अधिकारी
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner